संख्या:-47/2022/1656ई-2/तेरह-2022-229989

प्रेषक,

राजवीर सिंह
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 27 सितम्बर, 2022

विषय: मेसर्स जैन डिस्टिलरी (ए यूनिट आफ जैन डिस्टिलरी प्रा. लि.), नगीना रोड, जिला बिजनौर की क्षमता वर्ष में 300 कार्यकारी दिवस से बढ़ाकर 330 कार्यकारी दिवस स्वीकृत करते हुए आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता 120 लाख लीटर वार्षिक से बढ़ाकर 132 लाख लीटर वार्षिक निर्धारित किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-192/दो-प्रा.डी.-106/जैन, दिनांक 11-07-2022, एवं पत्र संख्या-जी-227/दो-प्रा.डी.-106/जैन, दिनांक 22-09-2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 11-07-2022 एवं पत्र दिनांक 22-09-2022 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स जैन डिस्टिलरी (ए यूनिट आफ जैन डिस्टिलरी प्रा.लि.), नगीना रोड, जनपद बिजनौर की 40 कि.ली. प्रतिदिन अल्कोहल उत्पादन क्षमता को यथावत रखते हुए आसवनी को वर्ष में स्वीकृत कार्यकारी दिवस को 300 दिवस से बढ़ाकर 330 दिवस किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता 120 लाख लीटर वार्षिक से बढ़ाकर 132 लाख लीटर वार्षिक जिसके अंतर्गत 27.27 प्रतिशत पेय मदिरा एवं शेष 72.73 प्रतिशत रेक्टिफाइड स्प्रिट, ई.एन.ए. एवं अब्सोल्यूट अल्कोहल का उत्पादन किया जाएगा, की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आसवनी द्वारा निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा :-

(1) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित सम्बन्धित समस्त आवश्यक पर्यावरणीय व अन्य सांविधिक शर्तें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश दिनांक 03-07-2020 द्वारा निर्गत सहमति पत्र में उल्लिखित शर्तें।

(4) आबकारी आयुक्त द्वारा अग्रतर कार्यवाही करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आसवनी/इकाई पर कोई राजस्व देयता/बकाया नहीं है।

(5) मा. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में लम्बित विभाग द्वारा दायर स्पेशल लीव पिटीशन (सिविल) सी.सी. नम्बर 2863/2017 (डायरी नम्बर 2614/2017)-स्टेट ऑफ यू.पी. व अन्य बनाम जैन डिस्टिलरी में पारित निर्णय एवं रिट याचिका सं.-819(टैक्स)वी/एस. स्टेट/2017 में मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय आसवक के लिये बाध्यकारी होगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजवीर सिंह)
अनु सचिव।

Uttar Pradesh Government

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।